विज्ञापन

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। **प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यकमों आदि का विवरण केवल आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अनिवार्य व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2014–15 से लागू की गयी है।**

2-- **शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटबेस में दिनांक 05 जून, 2014 से 15 जुलाई, 2014 तक स्वयं आनलाइन आवेदन किया जायेगा।**

3. मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यकमों की मान्यता/सम्बद्धता **दिनांक 30 जून, 2014 तक** प्राप्त हो चुकी होगी।

4-- **मास्टर डाटाबेस में जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के नाम पहले से शामिल हैं, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष 2014–15 हेतु अपने शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त विवरण पूर्व में प्रदान किये गये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से आनलाइन भर कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा।**

5-- मास्टर डाटाबेस में केवल निर्धारित अवधि तक सम्मिलित शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार देय होगी।

6. मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए 30 जून, 2014 तक मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नये शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों को सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी से निर्धारित प्रकिया अनुसार लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन आवेदन करना होगा।

7-- **मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यकमों आदि को सम्मिलित करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 15 जुलाई, 2014 के बाद कोई भी आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।**

8-- प्रदेश के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों को भी निर्धारित तिथि तक स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा।

9. प्रदेश के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्ति हेतु श्री पी0के0 त्रिपाठी, उपनिदेशक/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को निर्धारित प्रकिया अनुसार आवेदन करना होगा, जिनका मो0नं0--9452139277 है।

10-- प्रदेश के बाहर स्थित शिक्षण संस्थानो को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से अथवा आवेदन पत्र को स्कैन कर ईमेल– director.sw@dirsamajkalyan.in पर 01 जुलाई, 2014 तक उपलब्ध करानी होगी।

11-- मास्टर डाटावेस में उक्त प्रकिया अनुसार जिन शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का नाम निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होगा एवं सत्यापन/जांचोपरान्त सही पाया जायेगा, उन्हीं शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के संस्थागत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को

नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी।

12– जनपद के बैंक, बैंक शाखाओं के नाम एवं उनके आई0एफ0एस0 कोड को मास्टर डाटावेस में जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.06.2014 से 15.07.2014 तक ऑनलाइन विवरण भरकर अपडेशन, डिलीशन एवं संशोधन किया जायेगा।

13– मास्टर डाटाबेस, उसमें सम्मिलित होने की प्रकिया तथा आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट http://www.scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध है।

निदेशक
समाज कल्याण

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या/ 658 /स0क0/शिक्षा–अ/प्रेस विज्ञप्ति/2014–15: दिनांक 02 जून, 2014

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण।
2. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध से कि उक्त विज्ञापन दो अंग्रेजी (राष्ट्रीय) एवं दो हिन्दी के बहुप्रचारित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध से कि उक्त विज्ञापन को संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. नोडल अधिकारी/उपनिदेशक, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

निदेशक
समाज कल्याण